झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची।

आपराधिक पुनरीक्षण सं0–92 वर्ष 2018

श्री इंद्रजीत राम उर्फ इंद्रजीत राम .... याचिकाकर्त्ता

बनाम्

1. झारखण्ड राज्य
2. सतर्कता अधीक्षक, सतर्कता विभाग, राँची

.... विपक्षी गण।

कोरम : माननीय न्यायमूर्ति श्री रोंगन मुखोपाध्याय

याचिकाकर्त्ता के लिए :– श्री साकेत उपाध्याय, अधिवक्ता।

राज्य के लिए:– कोई नहीं।

04 / दिनांकः 22.6.2018 याचिकाकर्त्ता के विद्वान अधिवक्ता सुने गए। राज्य की ओर से कोई भी उपस्थित नहीं होता है।

यह आवेदन सतर्कता (विशेष) वाद सं0–24 / 2013 में विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा दिनांक 19.12.2017 को पारित निर्णय के खिलाफ निर्देशित है जिसके द्वारा दं0प्र0सं0 की धारा 311 के तहत अ0सा0–10 की प्रतिपरीक्षण के लिए पुनः बुलाने के लिए बचाव पक्ष द्वारा दाखिल की गई आवेदन को खारिज कर दिया गया है।

ऐसा प्रतीत होता है कि अ0सा0–10 की परीक्षण 29.8.2016 को की गई थी और चूकि बचाव पक्ष का प्रतिनिधित्व करने वाले विद्वान अधिवक्ता मौजूद नहीं थे, इसलिए उन्हें

छोड़ दिया गया था। इसके बाद 3.8.2017 को, प्रतिपरीक्षण के लिए अ0सा0–10 को वापस बुलाने के लिए बचाव पक्ष द्वारा एक आवेदन दाखिल की गई थी। हालांकि, याचिकाकर्त्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा किए गए निवेदनों के अलावा दं0प्र0सं0 की धारा 311 के तहत दाखिल किए गए आवेदन से पता चलता है कि अ0सा0–10 की परीक्षण के दौरान बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता मौजूद नहीं थे और यह विचारण में देरी करने के लिए मात्र एक कमजोर बहाना है। यदि बचाव पक्ष को पीड़ा होती तो अ0सा0–10 को छोड़ने के बाद वे तुरंत दं0प्र0सं0 की धारा के तहत आवेदन करते, लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि, जैसा कि याचिकाकर्त्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा कहा गया है, याचिकाकर्त्ता ने अपने अधिवक्ता को बदल दिया था जिसके कारण दं0प्र0सं0 की धारा 311 के अधीन एक आवेदन दाखिल किया गया।

जो भी है, चूंकि याचिकाकर्त्ता की ओर से स्पष्ट ढ़िलाई था और ऐसा प्रतीत होता है कि विचारण में देरी करने के लिए दं0प्र0सं0 की धारा 311 के तहत आवेदन किया गया, मैं इस आवेदन को स्वीकार करने के लिए इच्छुक नहीं हूँ, जो तद्नुसार खारिज कर दिया जाता है।

ह0

(रोंगन मुखोपाध्याय, न्याया0)